Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2020

No. 23-HLA of 2020/67/11516.— The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 23-HLA of 2020

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020. Short title.

2. In the proviso to sub-section (4) of section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), for the words "five years", the words "five years and six months" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th October, 2008. Amendment of section 4 of Haryana Act 16 of 1994

Amendment of section 164 of Haryana Act 16 of 1994.

3. After clause (c) of section 164 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) the consideration for which any immovable property may be sold, leased or otherwise transferred to social, religious or charitable institution, trust or social entities shall be as given below:-

Serial number	Nature of facility	Area	Tentative rate of sale
1	2	3	4
1.	Religious sites – the land of Municipal Corporation for the purpose of worship (Mandir, Gurudwara, Masjid, Church, etc.) and for Community Dharamshalas, Janjghar, Baratghar or community centres, etc.	upto 3000 square meters	(i) upto 2000 square meters, 50% of the Collector rate, proportionate cost of development of the area and other incidental charges thereto. (ii) for 2001-3000 square meters, 100% of the Collector rate, proportionate cost of development charges of the area and other incidental charges thereto.
2.	Nandi Shala, Gaushalas or stray cattle yard.	upto 5 acres	50% of the Collector rate, proportionate cost of development charges of the area and other incidental charges thereto.

Provided that the property shall be transferred by way of sale, lease or otherwise subject to prior approval of such authority, as may be notified by the Government.".

Amendment of section 421 of Haryana Act 16 of 1994.

4. After sub-section (2) of section 421 of the principal Act, the following sub-section shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 4th October, 2018, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018, appointment, removal or suspension of person elected as Mayor of Municipal Corporation before coming into force of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 or filling up of any post/office vacated by such person shall continue to be governed by the respective provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 that existed immediately prior to the coming of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 into force.

All the acts done/proceedings instituted or which might have been instituted or shall be instituted against any of the person elected as Mayor of Municipal Corporation prior to coming into force of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 shall continue to be governed by the respective provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 that existed immediately prior to the coming of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 into force.".

Repeal and saving.

5. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.4 of 2020) and the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.7 of 2020), are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. As provided under Section 4(4) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 the first election of the newly constituted Corporation is to be held within a period of five years from its constitution. The Municipal Corporation, Sonepat was constituted vide Government Notification dated 06-07-2015. According to said provision, the election of the Municipal Corporation, Sonepat was required to be held till 05.07.2020, but due to COVID-19 pandemic, the elections of this Corporation could not be held till 05.07.2020. To avoid any legal complication in the matter, it is proposed that an amendment in the proviso to Section 4(4) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 may be made to enable the Government to conduct the election of newly constituted corporation within five years and six months from the date of its constitution.

2. (i) There is no provision under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 to allot the Municipal Corporation land to the Social, Religious, Charitable, Institutions, Trust and Social entities for Social, Religious and Charitable purposes. Further, no rule/policy has been framed under the aforesaid Act, 1994 to allot the Municipal Corporation land to such entities. A committee under the Chairpersonship of Financial Commissioner and Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Revenue and Disaster Management Department was constituted at the level of the State Government in which it was decided that a policy in this regard will be framed by the Revenue and Disaster Management Department to allot the land for the purpose of Social, Religious, Charitable, Institutions, Trust and Social entities and other concerned departments may take further action to frame the policy for their departments as per their requirements.

(ii) The Department of Urban Local Bodies has also framed policy at par with the policy dated 12.02.2019 framed by the Revenue Department. In addition to that, a provision to allot the land upto 5 acre to the Nandishalas/Gaushalas and Stray Cattle yard has also been made in the policy of the Urban Local Bodies Department. The amendment in this regard under the "Haryana Management of Municipal Properties and State Properties Rules, 2007" Rules with addition of Rule 4(A), 4(B), 4(C) and 4(D) are under process which are applicable only in Municipal Councils and Committees. Hence, similar provisions are required to be made for the Municipal Corporation land for allotment to Social, Religious, Charitable, Institutions, Trust and Social entities. Therefore, the department has to amend the provision of section 164 of the Act, 1994 by inserting clause (ca) of sub section (i) of section 164 immediately after clause (c) and immediately before clause (d) of sub section (i) of section 164 of Act, 1994.

3. Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 was enacted by the State Legislature and was published on 04.10.2018. A near identical Act named Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 was enacted by the State Legislature which has been published and came into force with effect from 04.09.2019. By this Amendment Act, it was provided that all the seats in the municipality [under the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter referred to as 'the Act')] including the President shall be filled in by person chosen by direct election. Section 21 of the Act which provided for No Confidence Motion against President or Vice President, was also amended and the President now cannot be removed by No Confidence Motion by other Members of the municipalities. Consequential, amendments have also been made with respect to the Office of the President of municipalities by way of this Amendment Act. However, the Amendment Act, 2019 was silent about transitional provisions about persons elected as President by Members of the municipalities as per provisions existing prior to this Amendment Act. Nothing is indicated in this Amendment Act about repeal and saving of provisions existing prior to amendment and how the persons who have been elected prior to amendment are to be governed about their suspension, removal or filling up vacancies vacated by such indirectly elected persons. Number of cases have now coming up in Court, where process for No Confidence Motion was started prior or after amendment with respect to the President of municipalities elected indirectly by other Members of the municipalities from amongst themselves. **In CWP No. 9434 of 2020 titled Seema Rani, President, Municipal Committee, Jakhal Mandi Versus State of Haryana and others and decided on 13.07.2020,** the Court has taken the view that there is no saving clause in the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2019 which would have dealt with status of persons elected as President under the pre amended provisions. The Court has accordingly quashed the order of the Deputy Commissioner calling meeting of the Municipal Committee to consider No Confidence Motion against President.

Similar provisions were made by way of Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 in case of Mayors of Municipal Corporations under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. To be on the safer side, an Ordinance has been promulgated vide Law and Legislative Department Notification No. Leg.23/2020, dated 17.08.2020 vide which Repeal and Saving provisions contained in Section 421 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, sub section (3) has been added to the effect that notwithstanding

anything contained in the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018, appointment, election, removal or suspension of persons appointed as Mayor before coming into force of the Amendment Act shall continue to be governed by the provisions of the un-amended Act existing prior to coming into force of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018. Now therefore, the ordinance is required to be converted into Bill for seeking the approval of the Legislative Assembly.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 24th August, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 23 एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उप–धारा (4) के परन्तुक में, ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष तथा छह मास'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 164 के खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 164 का संशोधन।

''(गक) प्रतिफल, जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति किसी सामाजिक, धार्मिक या धर्मार्थ संस्था, न्यास या सामाजिक संस्था को बेची, पट्टे पर दी या अन्यथा अन्तरित की जा सकती है, निम्न अनुसार होगा :–

क्रम संख्या	सुविधा का स्वरूप	क्षेत्र	बिक्री की अनन्तिम दर
1.	धार्मिक स्थल – पूजा (मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च इत्यादि) के प्रयोजन के लिए तथा सामुदायिक धर्मशालाओं, जंजघर, बरातघर या सामुदायिक केन्द्रों, इत्यादि के लिए नगर निगम की भूमि।	3000 वर्ग मीटर तक	(i) 2000 वर्ग मीटर तक, कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिशत। (ii) 2000–3000 वर्ग मीटर के लिए, कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 100 प्रतिशत।
2.	नन्दीशाला, गोशाला या आवारा पशु यार्ड।	5 एकड़ तक	कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिशत।

परन्तु सम्पत्ति, ऐसे प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 421 की उप–धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 अक्तूबर, 2018 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 421 का संशोधन।

"(3) हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद/पदवी का भरा जाना, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित किया जाता रहेगा।

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किए गए सभी कार्य/संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा भाासित की जाती रहेंगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) तथा हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(4) में उपबन्धित के अनुसार नव गठित नगर निगम का प्रथम चुनाव इसके गठन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना है। नगर निगम, सोनीपत का गठन सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.07.2015 द्वारा किया गया था। कथित उपबन्ध के अनुसार नगर निगम, सोनीपत का चुनाव दिनांक 05.07.2020 तक कराया जाना अपेक्षित था, किन्तु कोविड–19 महामारी के कारण इस नगर निगम का चुनाव दिनांक 05.07.2020 तक नहीं कराया जा सका है। मामले में किसी कानूनी उलझन से बचने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(4) के उपबन्ध में संशोधन करके नगर निगम के गठन की तिथि से पांच वर्ष तथा छः माह के भीतर नए–गठित नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सरकार को समर्थ बनाया जाये।

2. (i) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में सामाजिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, संस्था, न्यास तथा सामाजिक हस्तियों को नगर निगम की भूमि का आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसी संस्थाओं को नगर निगम की भूमि का आवंटन करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 के अधीन कोई भी नियम/नीति नहीं बनाई गई है। वित्तायुक्त एंव अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एंव आपदा प्रबन्धन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति राज्य सरकार के स्तर पर गठित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में एक नीति सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, संस्था, न्यास तथा सामाजिक समस्याओं के प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन करने हेतु राजस्व तथा प्रबन्धन विभाग द्वारा बनाई जाएगी तथा अन्य सम्बन्धित विभाग इनकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने विभागों के लिए नीति बनाने के लिए आगामी कार्रवाई कर सकते हैं।

(ii) शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई दिनांक 12.02.2019 की नीति के समतुल्य नीति भी बनाई है। उसके अतिरिक्त नंदीशाला/गऊशाला तथा आवारा पशु प्रागंण को पांच एकड़ तक भूमि आंबटित करने का प्रावधान भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति में किया गया है। इस सम्बन्ध में 'हरियाणा नगरपालिका सम्पत्ति तथा राज्य सम्पत्ति नियम, 2020' में संशोधन नियम 4(क), 4(ख), 4(ग) तथा 4(घ) के अतिरिक्त नियम प्रक्रिया में है जो कि केवल नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में लागू है। अतः सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, संस्था, न्यास तथा सामाजिक संस्थाओं को आबंटन हेतु नगर निगम भूमि के लिये समरूप प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। इसलिये, विभाग अधिनियम, 1994 की धारा 164 की उपधारा (i) के खण्ड (ग) के ठीक बाद तथा खण्ड (घ) से ठीक पूर्व धारा 164 की उपधारा (i) के खण्ड (ग क) रखते हुये अधिनियम, 1994 की धारा 164 के उपबन्ध में संशोधन करता है।

3 हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया था तथा दिनांक 04.10.2018 को प्रकाशित किया गया था। एक निकटवर्ती समरूप अधिनियम नामतः हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया था जो प्रकाशित हुआ है तथा दिनांक 04.09.2019 को लागू हुआ है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा उपबन्धित किया गया था कि नगर पालिका में सभी सीटें (हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के अधीन (जिसे, इसमें, इसके बाद अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)) जिसमें अध्यक्ष सीधे निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्ति द्वारा भरी जायेगी, शामिल है। अधिनियम को धारा 21 जो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिये उपबन्धित है, भी संशोधित की गई थी तथा अब अध्यक्ष को नगरपालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता। इस संशोधन अधिनियम के दृष्टिगत नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में भी आनुषगिंक संशोधन भी किए गए हैं। तथापि, संशोधन अधिनियम, 2019 इस संशोधन अधिनियम से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के अनुसार नगरपालिकाओं के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के बारे में लगभग परिवर्ती उपबन्ध मौन थे। संशोधन से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के निरसन तथा व्यावृत्ति तथा उन व्यक्तियों को जो संशोधन से पहले निर्वाचित हुए हैं उनके निलम्बन, हटाए जाने या ऐसे सीधे रूप से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा रिक्त की गई रिक्तियों को भरने के बारे में कैसे शासित किया जाना है, इस संशोधन में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब, बहुत से मामले न्यायालय में आ रहे हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रक्रिया नगर पालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा उनमें से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के सम्बन्ध में संशोधन से पहले या बाद में शुरू की गई थी। **सिविल याचिका संख्या 9434/2020 शीर्षक सीमा रानी, अध्यक्ष, नगर पालिका, जाखलमण्डी बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य में दिनांक 13.07.2020 को दिये गये निर्णय** में न्यायालय ने अवलोकन किया है कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में कोई भी व्यावृत्ति खण्ड नहीं है जो पूर्व संशोधित उपबन्धों में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करती हो। तदानुसार न्यायालय ने अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नगर पालिका समिति की बैठक बुलाने के लिए उपायुक्त के आदेश को खण्डित कर दिया हैं।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में नगर निगमों के मेयरों के मामले में हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में समरूप प्रावधान किए गये थे। सुरक्षित पहलु के लिए एक अध्यादेश विधि एवं विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या लैज. 23/2020, दिनांक 17.08.2020 द्वारा प्रख्यापित किया गया है, जिसके द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 421 में दिये गये निरसन तथा व्यावृत्ति उपबन्ध के लिये उपधारा (3)

इस आशय के लिये जोडी गई है कि संशोधित अधिनियम के लागू होने से पहले मेयर के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति, निर्वाचन, हटाये जाने या निलम्बन के लिये हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 में दी गई किसी बात के होते हुये भी हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व विद्यमान असंशोधित अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित किए जाते रहेगें। इसलिये, अब, अध्यादेश को विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये विधेयक में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 24 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।